A2/4

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर**
**पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छीम्पा, R.A.S.**
**Camp - Dullapur Keri**

वादपत्र संख्या 129/2018
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

तलवीरसिंह आत्मज श्री प्यारासिंह, जटसिख, चक 3 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

**...वादी**

बनाम

राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

**..प्रतिवादी**

| | | |
|---|---|---|
| उपस्थित– | श्री तलवीरसिंह | (वादी) |
| | पैरोकार राज | (प्रतिवादी) |

**दिनांक 29 जून, 2018**

**– निर्णय –**

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 3 डी. बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27/26 मुरब्बा नम्बर 29 की 0.468 हैक्टर कृषि भूमि वादी बलवीरसिंह के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. जिसे गांव एवं परिवारवालों द्वारा तलवीरसिंह के नाम से पुकारा जाता है इसलिये राजस्व अभिलेखों में वादी का नाम तलवीरसिंह अंकित किये जाने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चुनाव पहचानपत्र संख्या आर.जे./01/007/078414, आधार कार्ड संख्या 9591 0390 3754, सरपंच, ग्राम पंचायत, दुल्लापुरकेरी द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं चक 3 डी बड़ी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी राज्यपक्ष की ओर से तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा पटवारी हल्का चक 3 डी बड़ी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व अभिलेखों में बलबीरसिंह के स्थान पर तलवीरसिंह किये जाने को उचित होना अंकित किया गया, पर उचित ठहराया गया.

मौका पर मौतबिरान से तस्दीक प्राप्त की गयी जिसके अनुसार भी बलबीरसिंह एवं तलवीरसिंह एक ही व्यक्ति के नाम हैं.

अभिलेख चुनाव पहचानपत्र संख्या आर.जे./01/007/078414, आधार कार्ड संख्या 9591 0390 3754, सरपंच, ग्राम पंचायत, दुल्लापुरकेरी द्वारा जारी प्रमाणपत्र एवं चक 3 डी बड़ी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 के साथ साथ मौतबिरान की तस्दीक के आधार पर वादी अपने सही नाम बलवीरसिंह उर्फ तलवीरसिंह आत्मज श्री प्यारासिंह, जटसिख, चक 3 डी बड़ी घोषित करवाने का अधिकारी है.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2/5

## ।। आदेश ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादी का नाम बलवीरसिंह उर्फ तलवीरसिंह आत्मज श्री प्यारासिंह, जटसिख, चक 3 डी बड़ी घोषित किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय कैम्प – दुल्लापुरकेरी में आज दिनांक 29 जून, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

( श्रीमती रीना छीम्पा )
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.
Camp - Dullapur Keri

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

A2/6

# डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर**
**पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छीम्पा, R.A.S.**

तलवीरसिंह आत्मज श्री प्यारासिंह, जटसिख, चक 3 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...वादी

बनाम

राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादी

वादपत्र संख्या 129 / 2018
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी श्री बलवीरसिंह उर्फ तलवीरसिंह एवं पैरोकार राज प्रतिवादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

**वादी का नाम बलवीरसिंह उर्फ तलवीरसिंह आत्मज श्री प्यारासिंह, जटसिख, चक 3 डी बड़ी घोषित किया जाता है.**

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य... ....दर वार्षिक....शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 29 जून, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
कार्यपालक दण्डनायक
श्रीगंगानगर
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

| वादी | राशि (00.00) | प्रतिवादी | राशि (00.00) |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प वादपत्र | 00.00 | स्टाम्प वकालतनाम | 00.00 |
| स्टाम्प वकालतनाम | 00.00 | स्टाम्प आवेदनपत्र | 00.00 |
| स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य | 00.00 | वकील शुल्क | 00.00 |
| वकील शुल्क | 00.00 | व्यय साक्षीगण | 00.00 |
| व्यय साक्षीगण | 00.00 | आयुक्त शुल्क | 00.00 |
| आयुक्त शुल्क | 00.00 | व्यय इजराय | 00.00 |
| **कुल** | **00.00** | **कुल** | **00.00** |

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर